इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253]　　　भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 जून 2019—आषाढ़ 6, शक 1941

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून 2019

क्र. बी-15-36-2019-चौदह-2.—मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग के द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (2) सहपठित धारा 19 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, अधिसूचना क्रमांक-डी-15-63-18-चौदह-3, दिनांक 06 अक्टूबर 2018 से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फलों एवं सब्जियों पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर एक रुपये पचास पैसे की दर से मण्डी फीस नियत की गई है तथा केवल संतरों एवं केले के लिये मण्डी फीस दर प्रत्येक एक सौ रुपये पर एक रुपये की दर नियत की गई है.

2. मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) (यथा अभिकथित अधिनियम) की धारा 6 के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 2(1)(क) की अनुसूची "आठ"—"सब्जियों" में उल्लेखित अधिसूचित कृषि उपज "प्याज" पर उक्त अधिनियम की धारा 6(ग) में प्रदत्त छूट को मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित कृषि मण्डी क्षेत्रों से प्रत्याहृत करती है.

3. मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित कृषि मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज "प्याज" के विक्रय पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर एक रुपये पचास पैसे के स्थान पर एक रुपये की दर से मण्डी फीस नियत करती है:

परन्तु इस प्रकार अधिसूचित कृषि उपज "प्याज" पर नियत की गई मण्डी फीस में से मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक-डी-15-5-2000-चौदह-3, दिनांक 10 नवम्बर 2000 की अनुसूची-एक में नियत की गई, विपणन विकास निधि मद अर्थात् "किसान सड़क निधि एवं कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि" में कोई राशि देय नहीं होगी.

यह अधिसूचना मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019-20 की अवधि के लिये प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2019

क्र. बी–15–36–2019–चौदह–2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 27th June 2019

No. B-15-36-2019-XIV-2.—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) readwith sub-section (1) of section 19 the State Government levied Market Fee at the rate of One Rupee in place of rupees One Rupee Fifty Paisa for every One Hundred Rupees of the price of fruits and vegetables in the market area of the specified market committees and fixed the levy of market fee in the case of only oranges and bananas at the rate of rupee one for every one hundred rupee of the price by the notification No. D-15-63-18-XIV, dated 06th October 2018.

2. In exercise to the powers conferred by second proviso of Section 6 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) (the Act), the State Government hereby withdraw the exemption in mandi area specified for Mukhya Mantri Pyaj Krasak Protsahan Yojana 2019-20 as provided under Section 6 clause (c) of the Act, for the notified agriculture produce "Onion" as defined in the Schedule-VIII-Vegetable, of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972, Section 2(1)(a).

3. In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 19, the State Government hereby fix the market fee at the rate of **One Rupee** in place of One Rupee & Fifty Paisa for every One Hundred Rupees of the price on sale of notified agriculture produce onion in mandi area specified for Mukhya Mantri Pyaj Krasak Protsahan Yojana 2019-20:

Provided that, from the market fee so fixed by revision, no money shall be payable in proviso of this department's notification No. D-15-5-2000-XIV-3, dated 10th November 2000 that is the determined head of amount in Scheduled One, namely Vipanan Vikas Nidhi that is "Farmers Road Fund and Agricultural and Infrastructure Development Fund".

This notification shall be effective for the period of Mukhya Mantri Pyaj Krasak Protsahan Yojana 2019-20.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
UPENDRA NATH SHARMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.